उमेश कुमार गुप्ता तथा अन्य बनाम चंद्रिका यादव तथा अन्य

दिनांकः 22.06.2024 वाद पुकारा गया प्रस्तुत मामला वादी द्वारा दिनांक 01.06.2024 को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश संख्या 6 नियम 17 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

प्रस्तुत मामले में वादी का कथन है कि प्रस्तुत मामला एकपक्षीय सुनवाई हेतु चल रहा है। वादी की तरफ चार गवाहों की गवाही कराया जा चुका है। इसी बीच प्रतिवादीगण ने दिनांक 09.03.2024 को वादी को बेदखल कर दिया और उसके भाग पर चार दुकानों का निर्माण करा लिया और पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया । विवादित जमीन से वादी को बेदखल कर दिया चूंकि यह घटना वाद दायर होने के पश्चात है अतः संशोधन जरूरी है अतः वाद पत्र के पैरा 7 के अंत में पैराग्राफ जो आवेदनपत्र के पेज 3 पर है एवं नालिस के अनुतोष नं 2 में नयी पंक्ति पुरानी पंक्ति को काटकर आवेदन पत्र के पेज नं 4 पर जो वर्णित है एवं मद नं 1 वाद पत्र में भी आवेदन पत्र के आलोक में संशोधन की इजाजत देने की कृपा करें।

प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है।

उपस्थित पक्ष को सुना। मामले में वादी के आवेदन का अनुशीलन किया। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत वर्णित है कि ***''न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रकम में अनुज्ञा दे सकेगा कि वह अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और ऐसे निबंधो पर जो न्यायसंगत हो, परिवर्तित करे या संशोधित करे और सभी ऐसे संशोधित किये जाएंगे जो कि पक्षकारों के मध्य में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।***

परन्तु विचारण के प्रारंभ होने के उपरांत संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक न्यायालय इस निर्णय पर न पहुंचे कि उचित तत्परता के उपरांत भी पक्ष विचारण प्रारंभ होने से पूर्व मामला नहीं उठा पाया।''

प्रस्तुत मामले में वादी के द्वारा दिया गया संशोधन आवेदन में कहा गया है कि वाद संस्थित होने के बाद दिनांक 09.03.2024 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बेदखल कर दिया गया है । यद्यपि मामले में वादी का साक्ष्य प्रारंभ है और कुछ साक्षियों का साक्ष्य अभिलेख पर प्रारंभ हो चुका है परंतु विचारण के उचित निर्धारण हेतु एवं पक्षकारों के मध्य

उमेश कुमार गुप्ता तथा अन्य बनाम चंद्रिका यादव तथा अन्य

हुए विवाद का न्यायसंगत निर्धारण करने हेतु जिसके कि वास्तविक स्थिति का निर्धारण हो सके न्याय हित में चूंकि संशोधन की प्रकृति औपचारिक है । अतः वादी का व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन को **स्वीकृत** किया जाता है और एतद द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया जाता है। वाद दिनांक.....वास्ते साक्ष्य।

लेखापित

अवर न्यायाधीश
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।